

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक-29 जून, 2026

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148, IND (नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण ए0डी0बी0 फेज-1) के अन्तर्गत अधिष्ठान/डी0एस0सी0 व्ययों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक-64846, दिनांक 31.05.2026 तथा कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून के पत्रांक-यू0यू0एस0डी0ए0/ एफएंडए/05/657, दिनांक 16.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148, IND (नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण ए0डी0बी0 फेज-1) के अन्तर्गत अधिष्ठान/डी0एस0सी0 व्ययों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से/यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।
- (3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
- (5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-86/XXVII(7)36/2010-11/2019, दिनांक 08.03.2019 एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों/वित्तीय नियमों का

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

(8) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- 384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-03-2027 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तदनुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी तथा SNA खातों की मैपिंग IFMS के साथ कर लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र परियोजना निदेशक से प्राप्त कर अधिकतम एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-9701-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0) (फेज-1)-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- एलॉटमेंट आई0डी0 s.26060130036.

भवदीय,

Digitally signed by

Santosh Badoni

Date: 23-06-2026

11:28:25

(संतोष बडोनी)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- अपर सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 6- कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून।
- 7- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by

PRADEEP KUMAR SHUKLA

Date: 25-06-2026

16:17:08

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Signature Not Verified

 Digitally signed by: Mr Mahoj Chandra Misra
 Reason : SEC E-Approval
 Location: Cyber Treasury
 Date and Time: 29-06-2026 13:07:54

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26060130036

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 29-JUN-2026

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकारणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

97 बाह्य सहायतित योजना

01 नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0वी0)(फेज-1)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	1000000000	0	1000000000
	योग	0	1000000000	0	1000000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 10,00,00,000 (Rupees Ten Crores Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2606:0007

Approval Status : e-Sign letter